प्रेषक,

श्री एस0आर0लाखा,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, लखनऊः दिनाँकः 19 फरवरी, 2000

विषय :– राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला आच्छांदन योजना (District Coverage Plan) तैयार किये जाने हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

आपके मार्ग–दर्शन में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा शहरी निर्धनों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विगत वर्षों की भाँति ही वर्ष 2000–01 की कार्ययोजना तेयार की जानी है जिन हेतु निम्न प्रक्रिया एवं रणनीति अपनायी जाये–

1. भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकायों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों तथा बस्तियाँ ही पात्रता श्रेणी में आयेंगी।

2. प्रत्येक जनपद में सामुदायिक स्तर पर सामुदायिक विकास समिति (सी0डी0एस0) का गठन किया गया है। अब विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्ताव सी0डी0एस0 के माध्यम से ही प्राप्त किये जायें तथा डूडा की शासी निकाय से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य कराये जायें। कार्य योजना में प्रस्तावित समस्त कार्य भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही होना चाहिये।

3. विगत वर्षों में देखा गया है कि जनपद स्तर पर कार्य योजना जनपदों के निर्धारित लक्ष्यों से बहुत अधिक ध नराशि की तैयार कर ली जाती है जबकि सूडा द्वारा जनपद के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ही धनराशि आवंटित की जाती है। कार्ययोजना में निर्धारित लक्ष्य से अधिक धन के कार्य प्रस्तावित करने के कारण वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर काफी कार्य अपूर्ण रह जाते हैं। अतः कार्ययोजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्ष 1999–2000 की कार्ययोजना में सम्मिलित ऐसे सभी कार्य, जो अभी प्राप्त नहीं हुये हैं, का परीक्षण कर आवश्यकता के अनुसार उन्हें वित्तीय प्राथमिकता में आगामी वर्ष की कार्ययोजना में सम्मिलित करा लिया जाये।

4. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि सूडा की शासी निकाय द्वारा जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य से 25 प्रतिशत से अधिक कार्ययोजना स्वीकृत नहीं करायी जाये। इसका अनुपालन करने का दायित्व पूर्ण रूप से परियोजना निदेशक / परियोजना अधिकारी का होगा। कार्यों की प्राथमिकता तय करते हुए तद्क्रम में कार्य सम्पन्न किये जायें।

5. उपयोजनावार दिनाँक 01.04.2000 की जनपद स्तर पर अवशेष धनराशि को भी सूडा द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य में सम्मिलित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष 2000–01 के लिए वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे।

6. व्यक्तिगत रूप से लाभार्थियों को लाभान्वित करने वाली योजनायें जैसे–स्वतः रोजगार योजना, स्वतः रोजगार प्रशिक्षण योजना इत्यादि में निर्धारित लक्ष्यों को सामुदायिक विकास समितियों के मध्य जनसंख्या के अनुपालन में

विभाजित कर लक्ष्य निर्धारित कर दिये जायें। सी0डी0एस0 से निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूपही प्रस्ताव प्राप्त किये जायें। शासी निकाय की बैठक में सी0डी0एस0 के प्रस्ताव संख्या तभा लाभार्थी क्रम संख्या का भी उल्लेख किया जाये।

7. स्वतः रोजगार कार्यक्रम स्वतः रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम, आश्रय सुधार योजना एवं स्वच्छकार विमुक्ति योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किये गये लाभार्थियों की सूची तैयार कर उन्हें प्रकाशित किया जाये। इसी प्रकार नगरीय मजदूरी योजना, राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना में कराये गये निर्माण कार्यों की सूची भी तैयार कर प्रकाशित की जाये। प्रकाशित सूची की प्रति माननीय मेयर/अध्यक्ष, स्थानीय निकाय, मा0 सांसद, मा0 विधायक व अन्य जन प्रतिनिधियों को आवश्यक उपलब्ध करायी जाये तथा एक प्रति सूडा को भी प्रेषित की जाये।

8. लाभार्थियों के चयन एवं निर्माण कार्यों के चयन में पूर्ण पारदर्शिता लायी जाये तथा यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति उत्पन्न न हो।

9. योजना के अन्तर्गत विकास कार्यों को विभिन्न विभागों के साथ अभिसरण के आधार पर कराया जाये। विभिन्न विभागों द्वारा गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए उपलब्ध संसाधनों में उचित समन्वय कराया जाये, जिससे विभिन्न विभागों के विकास कार्य भी परिलक्षित हों तथा मलिन बस्तियों मे विभिन्न विभागों से कराये जाने वाले कार्यों में दोहरापन/ओवर लैपिंग ने होने पाये।

10. योजनाओं में लाभार्थियों का चयन करते समय महिलाओं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, विकलांगों के लिए निर्धारित प्रतिशत अवश्य सुनिश्चित किया जाये।

11. यह भी सुनिश्चित करना डूडा के समस्त अधिकारियों का उत्तरदायित्व होगा कि निर्माण कार्यों में ठेकेदारी प्रथा से कोई कार्य न कराया जाये। यदि इस प्रकार की किसी शिकायत की पुष्टि हुई तो परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी/अवर अभियन्ता को उत्तरदायी माना जाये।

12. कार्यों के चयन में यह भी सुनिश्चित किया जाये कि निर्माण कार्य केवल ऐसे क्षेत्रों में कराये जायें जो कि मलिन बस्ती की परिधि में आते हैं तथा ऐसे कार्यों का ही चयन किया जाये जो कि भारत सरकार एवं राज्य नागर विकास अभिकरण के दिश–निर्देशों के अनुरूप हों। साथ ही योजनाओं में ऐसे लाभार्थियों का ही चयन किया जाये जो योजनाओं के दिशा–निर्देशों के अनुसार पात्रता की श्रेणी में हों। यदि दिशा–निर्देशों का उल्लंघन पाया जायेगा तो कठोर कार्यवाही की जायेगी।

13. मजदूरी द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाओं के लिए नगर में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले श्रमिकों को चिन्हित कराया जाये तथा डूडा एवं स्थानीय निकाय स्तर पर श्रमिक रजिस्टर पूर्ण वितरण सहित तैयार कराया जाये। इन योजनाओं में श्रमिक रजिस्टर पर अंकित श्रमिकों को ही रोजगार प्रदान किया जाये।

14. निर्माण कार्य जिले में लोक निर्माण विभाग की निर्धारित दरों तथा मानकों के अनुरूप कराया जाये। दैनिक श्रमिकों का विवरण एवं तद्विषयक अभिलेखों का रख–रखाव लो0नि0 विभाग द्वारा इस निमित्त निर्धारित मस्टर रोल में ही किया जायेगा।

15. योजनान्तर्गत क्षेत्र के विकास कार्य कराने से पूर्व उस क्षेत्र की जल निकासी की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाये जिससे क्षेत्र का लेविल ले–आउट प्लान पर दर्शाकर डिस्पोजल स्थल पर दर्शाना आवश्यक होगा।

16. योजनायें सम्बन्धित निकायों की न्यूनतम आवश्यकताओं पर आधारित होनी चाहिए और विशिष्ट कार्य, जिनके लिए शासन द्वारा विशिष्ट विभाग सृजित किये गये हैं, डूडा द्वारा सम्पादित न किये जायें अर्थात लोक निर्माण विभाग, जल निगम सिंचाई विभाग आदि विशेषज्ञ विभाग जिन कार्यों हेतु सृजित किये गये हैं, उन कार्यों को डूडा से सम्पादित न किया जाये।

17. पूर्व वर्षों के अपूर्ण कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये। यथावत निर्माण कार्यों में उत्पन्न हुये ''गैप'' को प्राथमिकता से भराया जाये। ऐसे कार्यों को महत्ता प्रदान की जाये जिनका एक लम्बे अन्तराल के बाद भी भौतिक सत्यापन सम्भव हो।

18. किसी भी कार्य को प्रस्तावित करने से पूर्व संबंधित परियोजना अधिकारी इस तथ्य का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे इस बात से सन्तुष्ट हैं या कि– प्रस्तावित कार्य पूर्व में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डूडा अथवा किसी विभाग द्वारा सम्पादित नहीं कराया गया है।

19. विभाग द्वारा संचालित जिस समस्त योजनाओं के अन्तर्गत कार्यों जैसे–स्वाथ्य शिक्षा, विकलांगों को सहायता, प्रशिक्षण कार्यों में लाभार्थी को छात्रवृत्ति बालिका समृद्धि योजना में लाभार्थी को मानदेय इत्यादि में लाभार्थियों को दी जाने वाली राशि का भुगतान केवल एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से ही किया जाये।

20. डूडा/सी0डी0एस0 द्वारा क्रियान्वित विभिन्न कार्यक्रमों के लिये उपयोग की जाने वाली सामग्री यू0पी0 स्टोर पर्चेज नियमों के अनुसार जिलाधिकारी/अध्यक्ष के अनुमोदन के पश्चात् ही क्रय किया जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि क्रय की जाने वाली सामग्री आवश्यकता से अधिक मात्रा में न हो।

1. **<u>स्वतः रोजगार कार्यक्रम :–</u>**

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1999–2000 के बैंकों में लम्बित प्रार्थना पत्रों में यथा आवश्यक सुधार करते हुये नियमानुसार उनको आगामी वर्ष के लिए लक्ष्य के अनुरूप पात्र व्यक्तियों का चयन कर लिया जाये ताकि वर्ष के प्रारम्भ में ही पात्र व्यक्तियों का लाभान्वित किये जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सके। इस योजना मै पूर्व के वर्षों में कौशल सुधार प्रशिक्षण प्राप्त लाभार्थियों को अपने रोजगार स्थापित करने हेतु वित्त पोषण में प्राथमिकता दी जाये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/जनजाति महिलाओं व समाज के अन्य पिछड़े वर्गों के चयन में लाभार्थियों का अनुपात भारत सरकार के निर्दिष्ट मापदंडों से कम न हो।

2. **<u>स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम–</u>**

इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन सी0डी0एस0 के प्रस्ताव द्वारा ही किया जाये तथा विभिन्न योजनाओं में पूर्व में प्रशिक्षित मास्टर क्राफ्टमैन को चिन्हित कर सूची तैयार करा ली जाये। चिन्हित मास्टर क्राफ्टमैन द्वारा सी0डी0एस0 स्तर पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की हो। मास्टर क्राफ्टमैन की अनुपलब्धता की स्थिति में ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन हेतु सरकार/अर्द्धसरकारी संगठनों का चयन यिा जाये। सरकारी संस्थाओं जैसों का ही चयन प्रशिक्षण इत्यादि के लिए किया जाये जिनके पास पर्याप्त अवस्थापना सूविधा उपलब्ध हो कार्ययोजना में प्रशिक्षण देने वाले मास्टर क्राफ्टमैन/सी0डी0एस0 की ट्रेंडवार लक्ष्यों की स्थिति स्पष्ट होना आवश्यक है। शासी निकाय में उपरोक्तानुसार कार्ययोजना स्वीकृत कराकर प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कलेण्डर तेयार कराया जाय। प्रशिक्षण हेतु उन्हीं ट्रेड का चयन किया जाये जिसमें कच्चे माल की उपलब्धता एवं उत्पादित माल के विपणन की सम्भावनायें हों। अनावश्यक ट्रेड्स से प्रशिक्षण कदापि न दिखाया जाये यह सुनिश्चित किया जाना परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी का व्यक्तिगत दायित्व होगा। वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य से अधिक प्रशिक्षण न कराया जाये।

<u>नगरीय मजदूरी रोजगार कार्यक्रम –</u>

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1999–2000 के अधूरे कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए वर्ष 2000–01 के कार्य योजना में सम्मिलित किये जायें। ऐसे स्वीकृत कार्य जो प्रारम्भ नहीं हुये हैं, को उनकी आवश्यकता

एवं उपादेयता के आधार पर प्राथमिकता दी जाये। उपरोक्तानुसार सी0डी0एस0 से प्राप्त प्रस्तावों की प्राथमिकता नियमानुसार निर्धारित करते हुए कार्ययोजना में कार्य सम्मिलित किये जायें।

कार्ययोजना में सम्मिलित समस्त कार्यों के पूर्ण विवरण जैसे–आवंटित राशि, स्थल, मात्रा इत्यादि का अंकन कार्ययोजना में किये जायें। किसी भी दशा में जनपद के निर्धारित वित्तीय लक्ष्य के 25 प्रतिशत से अधिक कार्य, कार्ययोजना में चिन्हित न किये जायें। इस योजना में कार्य विभागीय निर्माण पद्धति द्वारा सम्पादित कराये जायें। ठेकेदारी के माध्यम से कार्य विभागीय निर्माण पद्धति द्वारा सम्पादित कराये जायें। ठेकेदारी के माध्यम से कार्य सम्पादित न कराये जायें। योजना के अन्तर्गत उसी क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाये संबंधित क्षेत्र के श्रमिक उपलब्ध न होने की दशा में निकटवर्ती क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार दिया जा सकता है। सामग्री एवं श्रम हेतु व्यय की जाने वाली धनराशि का अनुपात 60:40 पर सुनिश्चित किया जाये।

<u>असिस्टेन्स टू कम्यूनिटी स्ट्रक्चर</u>

इस योजना के अन्तर्गत मलिन बस्तियों में सी0डी0एस0 की सहायता से आवश्यकतानुसार सामाजिक कार्य जैसे–शिक्षा चिकित्सा आदि कार्य चयनित किये जायें।

5. **<u>आई0ई0सी0</u>**

विभिन्न योजनाओं के लिए प्रचार–प्रसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के कार्य चयनित कर कार्ययोजना में सम्मिलित कराये जायें। इस मद में कराये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम का वार्षिक कलेण्डर भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया जाये।

6. **<u>ड्वाकुआं तथा थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट</u>**

ड्वाकुआ योजना में कौशल सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को प्राथमिकता दी जाये। ड्वाकुआ ग्रुप की ऐसी महिलाओं को जिनको कि उनके आर्थिक क्रिया कलापों के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ है सोसाइटी का उल्लेख कार्ययोजना में करना आवश्यक है। आगामी वर्ष हेतु सी0डी0एस0 के सहयोग से नई गठित की जाने वाली थ्रिफ्ट एण्ड क्रेडिट सोसाइटियों को भी चयनित कर कार्ययोजना में उल्लिखित किया जाये।

<u>राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम</u>

इस योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों हेतु नगरीय मजदूरी योजना की भांति वित्तीय वर्ष 1999–2000 के अधूरे/अवशेष कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर सम्मिलित किया जाये तथा सी0डी0एस0 की सहायता से वित्तीय वर्ष 1999–2000 के लिए कार्यों का चयन करा लिया जाये। इस योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य ठेकेदारी प्रथा से न कराया जाये। भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप मलिन बस्तियों में मूलभूत भौतिक सुविधायें जैसे–पेयजल खड़न्जा मार्ग, नाला/नाली, मार्ग प्रकाश, सामुदायिक केन्द्र, सामुदायिक शौचालय इत्यादि की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राथमिकता सी0डी0एस0 द्वारा निर्धारित कर ली जाये। सामाजिक कार्य जैसे–प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, विकलांग सहायता इत्यादि के कार्यों को आवश्यकतानुसार सी0डी0एस0 के प्रस्ताव के अनुसार सम्मिलित किया जाये। किसी भी दशा में लक्ष्यों के 25 प्रतिशत से अधिक के कार्य चयनित न किये जायें। कार्य, स्वीकृत कार्ययोजना में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार बजट सीमा के अन्तर्गत ही सम्पादित किये जायें।

<u>आश्रय सुधार योजना</u>

इस योजना के अन्तर्गत नेहरू रोजगार योजना के पूर्व चयनित 27 नगरों तथा पी0एम0आई0में चयनित 53

नगरों में इस वर्ष भी वह योजना लागू है। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत चयनित नगरो में भी यह योजना इस वर्ष से संचालित की जायेगी । सी0डी0एस0के सहयोग से लाभार्थियों का चयन कर लिया जाये। लाभार्थियों क चयन में विगत वर्ष के आंशिक रूप से लाभान्वित व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाये। सी0डी0एस0 को ऋण वसूली के कार्य का दायित्व भी सौंप दी जाये। सी0डी0एस0 को ऋण वसूली के कार्य का दायित्व भी सौंपा जाये तथा निर्धारित किस्तों के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाये।

<u>स्वच्छकार विमुक्ति योजना</u>

इस योजना के अन्तर्गत चयनित 69 नगरों में यह योजना पूर्व की भांति संचालित है। इन 69 नगरों में अभी जितने शुष्क शौचालयो जल प्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित किया जाना है उनकी वास्तविक संख्या हेतु सर्वे कराकर सूची तैयार करा ली जाये तथा एक प्रति सूडा मख्यालय को प्रेषित की जाये। इसी प्रकार जो भवन शौचालय सहित है उनकी भी संख्या ज्ञात कर कायैयोजना में सम्मिलित किया जाये। सूडा द्वारा द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप वसूली सुनिश्चित की जाये। उपरोक्त वर्ष 1999–2000 से प्रदेश के 23 अन्य नगर मोदीनगर पीलीभीत मीरगं (बरेली), शीशगढ़ (बरेली) शेरगढ़ (बरेली) पूरनपुर (पीलीभीत) तिलहर (शाहजहाँपुर) टेहरी, उधम सिंह नगर, गाजियाबाद पिलखुआ (गाजियाबाद) दादरी (गाजियाबाद) मुरादनगर(गाजियाबाद) लोनी (गाजियाबाद) , हापुड़ (गाजियाबाद), स्योहरा (बिजनौर), नगीना (बिजनौर), कीरतपुर (बिजनौर),शाहबाद (रामपुर), केमरी (रामपुर), मिलक (रामपुर), टांडा (रामपुर) स्वार (रामपुर), के चयन की कार्यवाही प्रगति पर हैं। इन नगरों में भी उपरोक्तानुसार शुष्क शौचालयों वाले भवन तथा शौचालय रहित भवनों में सर्वे कराकर कार्ययोजना में प्राविधान किया जाये, ताकि भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही योजना को वर्णित नगरों में लागू किया जा सके।

इस संबंध में अपेक्षा है कि समस्त योजना में सी0डी0एस0 के प्रस्ताव प्राप्त कर उनका नगर स्तर तथा जिला नगरीय विकास अभिकरण स्तर पर परीक्षण कर दिनाँक 31.03.2000 तक कार्ययोजना को जिला नगरीय विकास अभिकरण की शासी निकाय से अवश्य अनुमोदित करा लिया जाये जिससे वित्तीय वर्ष 2000–01 में चिन्हित कार्यों को शीघ्रता से प्रारम्भ कराया जा सके। शासी निकाय से अनुमोदित कार्ययोजना की प्रति राज्य नगर विकास अभिकरण को अप्रैल 2000 की मासिक समीक्षा बैठक में अवश्य उपलब्ध करा दी जाये। स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत कराये गये सर्वेक्षण में चयनित मलिन बस्तियों को नगर के मानचित्र पर सूडा द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अंकित करते हुए कार्ययोजना के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जाये।

<u>दुर्बल आय वर्ग भवन योजना</u>

इस योजना के आच्छादन क्षेत्र में विस्तार करते हुए पृथक से एक कार्ययोजना तैयार की जा रही है जिसका पृथक से शासनादेश निर्गत किया जा रहा है।

सामान्य –

यह सुनिश्चित किया जाये कि योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य किसी भी दशा में ठेकेदारी प्रथा अथवा एन0जी0ओ0 से न कराये जायें। प्रत्येक निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माण कार्य की परियोजना रिपोर्ट ले–आउट प्लान, विस्तृत आगणन तकनीकी विशिष्टियाँ एवं गुणवत्ता सम्बन्धी मानक पूर्व में ही तैयार कर लिये जाये। प्रत्येक परियोजना हेतु उपरोक्त कार्यवाही पृथक पत्रावली में रखी जाये। सृजित सम्पत्तियों का पूर्व विवरण परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाये। प्रत्येक परियोजना से सम्बन्धित ये समस्त अभिलेख समेकित करके परियोजनानुसार मुख्यालय को प्रेषित किया जाये। प्रत्येक माह के अन्त में कराये गये समस्त कार्यों की सूची जनपद स्तर पर प्रकाशित की जायेगी और वह जनपद के समस्त मा0 विधायकों एवं जनप्रतिनिधियों को उनकी अपेक्षा पर उपलब्ध करायी जाये।

सूडा मुख्यालय से जिला नगरीय विकास अभिकरणों को मद्वार धनराशि आवंटित की जाती है। इस प्रकार मद्वार आवंटित धनराशि में व्ययवर्तन करने का कोर्ट अधिकार डूडा स्तर पर नहीं है। इस प्रकार का व्यवर्तन वित्तीय अनियमित्ता होगी।

ऐसे समस्त कार्य जिनका कुछ समय बाद सत्यापन कराये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो, का भौति सत्यापन कार्य पूर्ण कराये जाने की अवधि के दौरान कम से कम परियोजना निदेशक स्तर से अवश्य कराया जाये तथा ऐसे कार्यों की पुष्टि एवं प्राथमिकता के रूप में उनकी विडियोग्राफी करवा ली जाये।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुये तथा आगामी वर्ष में सम्पादित किये जाने वाले समस्त कार्यों पर वित्तीय भार का समावेश करते हुए एक आय–व्ययक का विस्तृत एवं समेकित विवरण 31.03.2000 तक प्रत्येक दशा में तैयार किया जाये। इस आय–व्ययक विवरणीका में आयोजनेत्तर (नान प्लान) में प्रस्तावित सभी व्ययों का औचित्य सहित इंगित किया जाये।

उपरोक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2000–01 की योजनाओं को तैयार कर डूडा की शासी निकाय की बैठक के अनुमोदन के पश्चात् ही क्रियान्वित की जाये तथा उसकी एक प्रति शासन/सूडा को भी प्रेषित की जाये।

भवदीय

(एस0आर0लाखा)
सचिव

सं0–706(1)/61.1.2000.01(एस0जे0)/17 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य नगर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
(4) गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से

(मुनीन्द्र कुमार सिंह)
अनु सचिव